प्रेषक,

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

1. सम्पादक अमर उजाला उत्तराखण्ड संस्करण।
2. सम्पादक दैनिक जागरण, उत्तराखण्ड संस्करण।
3. सम्पादक हिन्दुस्तान, उत्तराखण्ड संस्करण।
4. सम्पादक उत्तर उजाला, हल्द्वानी, नैनीताल।
5. सम्पादक टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी संस्करण, दिल्ली।

पत्रांकः– 4844 /पंजी./कृषि यंत्र/2025–26 देहरादून दिनांक, 12, सितम्बर, 2025

विषयः–कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों के मूल विनिर्माताओं के सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु विज्ञप्ति के प्रकाशन विषयक।

महोदय,

आपको इस निदेशालय द्वारा कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों के मूल विनिर्माताओं के सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु विज्ञप्ति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया इस सूचीबद्ध/पंजीकरण सूचना को न्यूनतम पठनीय साईज अथवा संलग्न साईज को हिन्दी संस्करण में तत्काल नियमानुसार समयान्तर्गत प्रकाशित करने हेतु प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

12.09.25

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः– /पंजी./कृषि यंत्र/2025–26/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भण्डार, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि विज्ञप्ति प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
2. श्री हरिनन्दन जोशी, कनिष्ठ सहायक, कृषि निदेशालय को इस निर्देश के साथ कि पंजीकरण संबंधी विज्ञप्ति को वेबसाईट www.uk.gov.in तथा www.agriculture.uk.gov.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों के सूचीबद्ध/पंजीयन हेतु निर्धारित शर्तें एवं नियम

1. सभी विनिर्माता (Original Manufacturer) को विभाग द्वारा सूचीबद्ध/पंजीकरण फार्म का मूल्य बिकी कर सहित रू० 2000/-(दो हजार रूपये मात्र) में उपलब्ध होगा, फार्म कृषि निदेशालय, उत्तराखंड, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून से प्रत्येक कार्य दिवस में नगद धनराशि जमा कर **प्रातः 10:00 बजे से 5.00 तक दिनांक-10 अक्टूबर, 2025** तक प्राप्त किये जा सकेंगे, या www.agriculture.uk.gov.in की वेबसाइट के एडवरटीजमेंन्ट सेक्शन से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है। **पंजीकरण फार्म दिनांक 10 अक्टूबर, 2025 तक कृषि निदेशालय, उत्तराखंड देहरादून, नंदा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून के कार्यालय में सायं 5.00 बजे तक आर.के.वी.वाई. प्रकोष्ठ में पंजीकृत डाक अथवा स्वंय द्वारा जमा किये जा सकेंगें।** प्रत्येक यंत्र के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक यंत्र के आवेदन के साथ **आवेदन शुल्क रू० 2000/-** को कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड के नाम का बैंक ड्राफ्ट/ई-चालान अथवा विभागीय रसीद (D-2) फार्म के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाए। प्रत्येक यंत्र का पंजीकरण हेतु आवेदन पृथक-पृथक लिफाफे में किया जाना होगा एवं लिफाफे के ऊपर ***"सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु यंत्र का नाम"*** अवश्य अंकित किया जाय।

2. सूचीबद्ध पंजीकृत किये जाने वाले कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों को अपर आयुक्त (मशीनरी), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (M&T अनुभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक- 13-24/2018-M&T (I&P), दिनांक 19 सितम्बर, 2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं संशोधित गाईडलाईन के अनुसार परीक्षण/मानक का होना अनिवार्य है। गाइडलाईन को एग्री मशीनरी पोर्टल पर अवलोकित किया जा सकता है। पंजीकरण हेतु प्रस्तुत यंत्र ISI/BIS मार्क/FMTTI/CFMTTI या भारत सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से परीक्षित होने चाहिए। इस हेतु पात्रता फर्म को इस आशय का प्रमाण-पत्र पंजीकरण प्रपत्र के साथ सलंग्न करना आवश्यक होगा। जिन यंत्रों का मूल्य रू० 50000/- से कम है उनके लिए गाईडलाईन में दी गयी व्यवस्था के मानक ही मान्य होगें।

3. पंजीकृत किये जाने वाले यंत्रों का विवरण निम्नानुसार है, जिनके स्पेसिफिकेशन सलंग्नक में है।
   1-<u>वाटर लिफ्टिंग पंप</u>-विद्युत/डीजल/कैरोसीन चालित, जो BIS/ISI मार्क का हो।
   2-<u>ट्रैक्टर/पावर टिलर चालित यंत्र</u>- भारत सरकार द्वारा नामित किसी भी संस्थान/FMTTI/CFMTTI से परीक्षित हों।
   <u>3.-सेल्फ प्रोपलेड मशीनरी</u>-भारत सरकार द्वारा नामित किसी भी संस्थान/FMTTI/CFMTTI से परीक्षित हों।
   <u>4-पशु चालित यंत्र/मानव चालित यंत्र/शक्ति चालित यंत्र</u>- ऐसे यंत्र जिनको भारत सरकार की गाईडलाईन के द्वारा छूट प्राप्त है, उनके अतिरिक्त अन्य यंत्र भारत सरकार द्वारा नामित किसी भी संस्थान/FMTTI/CFMTTI से परीक्षित हों।
   <u>5-कृषि रक्षा यंत्र</u>-मानव चालित तथा ट्रैक्टर एवं शक्ति चालित-कृषि रक्षा यंत्र जो BIS/ISI मार्क या भारत सरकार द्वारा नामित किसी भी संस्थान/FMTTI/CFMTTI से परीक्षित हों।

4. कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों की विशिष्टियां (Specification) पंजीकरण फार्म के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी। इस के साथ ही फर्म को कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों की गुणवत्ता संबंधी प्रमाण-पत्र की सुस्पष्ट प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5. विनिर्माता फर्म द्वारा सूचीबद्ध/पंजीकरण कराये जाने वाले यंत्रों के आवेदन के साथ भारत सरकार द्वारा निर्धारित संस्था की कॉमर्शियल टेस्ट रिपोर्ट संलग्न करनी होगी।

6. पंजीकरण प्रस्ताव केवल मूल विनिर्माता फर्मो (Original Manufacturer)/मूल विनिर्माता द्वारा अधिकृत डीलर से ही स्वीकार किये जायेंगे। अधिकृत डीलर को इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

7. डीलर के दुकान का नजरी नक्शा संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं नक्शे को शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत है तो नगर पालिका के सक्षम अधिकारी से सत्यापित एवं यदि ग्रामीण क्षेत्र में है तो उप जिलाधिकारी/तहसीलदार से सत्यापित होना चाहिए एवं सत्यापन प्रमाण–पत्र डीलर पंजीकरण के समय संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. डीलर यदि कई जनपदों में कार्य कर रहा है तो उस स्थिति में प्रत्येक जनपद में दुकान का नजरी नक्शा उक्तानुसार सत्यापित कराते हुए पंजीकरण के समय संलग्न करना अनिवार्य होगा।

9. मूल निर्माता फर्म द्वारा डीलर का नियुक्ति सर्टीफिकेट वैद्यता तिथि के साथ प्रस्तुत करना होगा।

10. यदि यंत्रों के मूल विनिर्माता देश से बाहर के है तथा उनके द्वारा देश में फर्म को Authorised Dealership दी गई है, जिससे उक्त फर्म यंत्र को देश में विकय कर सकती है। इस आशय का प्रमाण–पत्र, जो कि मूल विनिर्माता के द्वारा दिया गया हो, संबंधित फर्म को पंजीकरण प्रपत्र के साथ सलंग्न करना होगा।

11. मूल निर्माता फर्म के द्वारा प्रदेश में यंत्र विक्रय हेतु डीलर नियुक्त किए जाते हैं। डीलर नियुक्त से संबंधित सूचनायें आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होंगी। (प्रारूप–3)

12. मूल निर्माता फर्म द्वारा डीलर की नियुक्ति के क्रम में जितने भी डीलर नियुक्त किए जाएगें, उन प्रत्येक डीलर के लिए पृथक–पृथक रू० 1000/– का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा। (एक जनपद में भी कई डीलर नियुक्त किए जाते हैं उस दशा में भी प्रत्येक डीलर का रू० 1000/– का बैंक ड्राफ्ट लगेगा एवं एक डीलर को यदि एक से अधिक जनपद के लिए नियुक्त किया जाता है तो उस दशा में भी उस डीलर का प्रत्येक जनपद हेतु रू० 1000/– का बैंक ड्राफ्ट पृथक–पृथक जनपदवार लगाना अनिवार्य होगा)।

13. सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु आवेदनकर्ता/मूल विनिर्माता फर्म को केन्द्रीय/राज्य व्यापार कर विभाग से पंजीकृत होना अनिवार्य है, साथ ही पंजीकरण प्रमाण पत्र की सुस्पष्ट छायाप्रति भी फार्म के साथ संलग्न करनी होगी। प्रदायकर्ता को केन्द्रीय व्यापार पंजीकरण/जी0एस0टी0 एवं आयकर पैन नम्बर की छाया प्रतियां भी संलग्न करनी होंगी।

14. सूचीबद्ध/पंजीकरण की वैद्यता सूचीबद्ध/पंजीकरण तिथि से 2 वर्ष तक के लिये मान्य होगी।

15. प्रदायकर्ता को पंजीकरण फार्म के साथ प्रत्येक यंत्रवार निर्धारित धरोहर धनराशि बिन्दु संख्या–17 के अनुसार रू० 25000/– (पच्चीस हजार रूपये मात्र)/रू० 50000/– (पच्चास हजार रूपये मात्र) जो FDR/BGR के रूप में कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड के नाम हो, सलंग्न करनी होगी। छायाप्रति मान्य नही होगी।

16. फर्म द्वारा **<u>कृषि यंत्र की दर में GST को सम्मिलित कर उपलब्ध कराया जाए, GST की नवीनतम दरों के अनुसार ही कृषि यंत्रों का मूल्य निर्धारण किया जाए।</u>** प्रस्तुत दर अन्य किसी राज्य में स्वीकृत दर से किसी भी दशा में अधिक नही होनी चाहिए साथ ही साथ इस आशय का भी प्रमाण पत्र देना होगा कि नियम एवं शर्तें निविदा में लिखी गयी हैं उसका पालन पूर्ण रूप से किया जाएगा। इस हेतु पंजीकरण आवेदन के साथ रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का प्रमाण–पत्र सलंग्न किया जाय।

17. सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु निम्नानुसार पंजीयन शुल्क (Non Refundable) तथा FDR/BGR पृथक–पृथक निम्नानुसार यंत्रवार देने होंगे। पंजीकृत किये जाने वाले यंत्रों की सूची का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	सूचीबद्ध/पंजीकरण होने वाले कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों का विवरण	पंजीयन शुल्क (प्रति यंत्र)	राष्ट्रीयकृत बैंक की FDR /BGR (प्रति यंत्र)
1	**Tractor**		
	Tractor 2 WD (8 to 20 PTO HP)	2000.00	50000.00
	Tractor 4 WD (8 to 20 PTO HP)	2000.00	50000.00
	Tractor 2 WD (20 to 40 PTO HP)	2000.00	50000.00
	Tractor 4 WD (20 to 40 PTO HP)	2000.00	50000.00
	Tractor 2 WD (40 to 70 PTO HP)	2000.00	50000.00
	Tractor 4 WD (40 to 70 PTO HP)	2000.00	50000.00
2	**Self Propelled Machines**		
	Rice Transplanter (Self Propelled 4 Row)	2000.00	50000.00
	Rice Transplanter (Self Propelled above 4 to 8 Row)	2000.00	50000.00
	Rice Transplanter (Self Propelled above 8 to 16 Row)	2000.00	50000.00
	Crop Reaper cum Binder (Tractor Drawn)	2000.00	50000.00
	Crop Reaper cum Binder (Self Propelled)	2000.00	50000.00
	Crop Reaper (Self Propelled)	2000.00	50000.00
	Paddy Transplanter (engine operated)	2000.00	50000.00
	Post Hole Digger/Auger	2000.00	50000.00
3	**Power Weeder Self Propelled**		
	(a) Power Weeder- (engine operated below 2 bhp)	2000.00	50000.00
	(b) Power Weeder- (engine operated above 2 bhp)	2000.00	50000.00
	(c) Power Weeder- (engine operated above 5 bhp)	2000.00	50000.00
4	**Brush Cutter**		
	(d) Brush Cutter engine operated below 3 hp	2000.00	50000.00
	(e) Brush Cutter engine operated abpve 3 hp	2000.00	50000.00
5	**Power Tiller**		
	Power Tiller engine operated below 8 hp	2000.00	50000.00
	Power Tiller engine operated above 8 hp	2000.00	50000.00
6	**Tractor/Power Tiller driven Equipments**		
	MB Plough	2000.00	50000.00
	Disc Plough	2000.00	50000.00
	Cultivator	2000.00	50000.00
	Harrow	2000.00	50000.00
	Combine Harvester-Self Propelled	2000.00	50000.00
	Combine Harvester-Tractor Operated	2000.00	50000.00
	Zero Till Seed cum Fertilizer Drill	2000.00	50000.00
	Seed Drill	2000.00	50000.00
	Laser Land Leveller	2000.00	50000.00
	Sugar Cane Cutter/Stripper	2000.00	50000.00
	Rotavator		
	1. Rotavator 6 Ft.	2000.00	50000.00
	2. Rotavator 7 Ft.	2000.00	50000.00
	3. Rotavator 8 Ft.	2000.00	50000.00
	Crop Reaper	2000.00	50000.00
	Crop Reaper Cum Binder Self Propelled	2000.00	50000.00
	Super Seeder	2000.00	50000.00

क्र. सं.	सूचीबद्ध / पंजीकरण होने वाले कृषि मशीनों / यंत्रों / उपकरणों का विवरण	पंजीयन शुल्क (प्रति यंत्र)	राष्ट्रीयकृत बैंक की FDR /BGR (प्रति यंत्र)
	Baler	2000.00	50000.00
	Multi Crop Thresher (engine/electric motor oprated)	2000.00	50000.00
	Thresher (engine/electric motor oprated)	2000.00	50000.00
	Paddey Thresher (engine/electric motor oprated)	2000.00	50000.00
	Millet Theresher (engine/electric motor oprated)	2000.00	50000.00
	Chaff Cutter (engine/electric motor)	2000.00	50000.00
	Straw Reaper	2000.00	50000.00
	Happy Seeder	2000.00	50000.00
7	**Manual/Animal driven Equipments**		
	(a) Thresher	2000.00	25000.00
	(b) Seed cum Fertilizer Drill	2000.00	25000.00
	(c) Puddler/Weeder/Conoweeder/ Harrow/ Cultivator/ Winnowing Fan	2000.00	25000.00
	(d) Chaff Cutter	2000.00	25000.00
	(e) Garden Hand Tools/Horticulture hand tool	2000.00	25000.00
	(f) Garden Hand Tool Kitt	2000.00	25000.00
	(g) Horticulture hand tool Kitt	2000.00	25000.00
	(h) Small Impliments	2000.00	25000.00
8	**Plant Protection Equipments (Manual/Tractor/Power)**		
	(a) Manual Sprayer – Knapsack /Foot Sprayer	2000.00	50000.00
	(b) Power Knapsack Sprayer/Power Operated Sprayer	2000.00	50000.00
	(c) Tractor Mounted/Operated Sprayer	2000.00	50000.00
9	**Post Harvest Equipment- All type of grinder/ pulveriser/ polisher (for all types of horticulture/food grain /oilseed crop)**		
	All type of grinder/ pulveriser/ polisher (for all types of horticulture/food grain /oilseed crop)	2000.00	50000.00
	(a) Engine/ Electric Operated 1 hp	2000.00	50000.00
	(b) Engine/ Electric Operated 2 hp	2000.00	50000.00
	(c) Engine/ Electric Operated 3 hp	2000.00	50000.00
	(d) Engine/ Electric Operated 5 hp	2000.00	50000.00
	(e) Engine/ Electric Operated 10 hp	2000.00	50000.00
	Mini Rice Mill	2000.00	50000.00
	Mini Dall Mill	2000.00	50000.00
	Millet Mill	2000.00	50000.00
	Oil Mill	2000.00	50000.00
	All type of power driven Dehuskar/ sheller/ Harvester/ peeler/ spliter/Striper (for all type of horticulture/food grain /oilseed crop)	2000.00	50000.00
	Extractor(for all type of horticulture/food grain/oilseed crop)	2000.00	50000.00
	All types of solar driers (for all type of horticulture/food grain /oilseed crop) with floor area of about 400 to 1000 sq.feet.	2000.00	50000.00
	All Type of Cleaner cum Garder/Gradient separator/specific Gravity ssparator(for all type of horticulture/food grain /oilseed crop)	2000.00	50000.00
10	Water Lifting Pump	2000.00	50000.00
	HDPE Pipe	2000.00	50000.00
	Sprinkler Set	2000.00	50000.00
	Mini Sprinkler Set	2000.00	50000.00
11	Power Weeder Attachement	2000.00	25000.00
	Power Tiller Attachement	2000.00	25000.00
12	Any Other Impliment (Catogory Wise))	2000.00	50000.00

1. भारत अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/ड्यूटीज/आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोतरी/परिवर्तन किया जाता है, तो पंजीकृत फर्म के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।
2. यदि विभाग चाहे तो पंजीकरण व्यवस्था को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद देहरादून होगा।
3. यदि फर्म के मानक सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की वैद्यता तिथि से पूर्व समाप्त होती है, तो फर्म को नवीनीकृत पंजीकरण उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा फर्म का पंजीकरण समाप्त कर दिया जायेगा।
4. प्रदायकों को सामग्री की गुणवत्ता, स्थापना, सामग्री का बदलाव (Replacement) विक्रय उपरान्त सेवा इत्यादि की भी जिम्मेदारी लेनी होगी तथा उनके द्वारा प्रदाय की गयी सामग्री की न्यूनतम एक वर्ष की गारंटी/वांरटी भी देनी होगी।
5. यंत्रों की दरें (एम.आर.पी.) एक वित्तीय वर्ष परिवर्तित नहीं की जाएंगी, परन्तु यंत्रों की एम. आर.पी. कम होने पर मूल्य का संशोधन किया जा सकता है।
6. प्रदाय की गई कोई भी जानकारी कभी भी असत्य पाये जाने की दशा में सूचीवद्ध/पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।
7. कय किया गया सूचीबद्ध/पंजीकरण प्रपत्र किसी अन्य प्रदायकर्ता को न तो विकय किया जा सकेगा और न ही हस्तान्तरित किया जा सकेगा।
8. प्रदाय की जाने वाली सामग्री का निरीक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा। गुणवत्ताहीन सामग्री के प्रदाय आदि के बारे में प्राप्त शिकायत के प्रमाणित होने पर सम्बन्धित प्रदायक का पंजीकरण निरस्त किया जायेगा और ऐसी फर्म को काली सूची में रखे जाने का निर्णय लिया जायेगा।
9. प्रदायकों को यंत्र प्रदाय के उपरान्त यंत्र को चलाने और उसके रख–रखाव की तकनीकी जानकारी से कृषकों को सन्तुष्ट करना होगा।
10. प्रदायकों द्वारा समय–समय पर निदेशालय को वांछित जानकारी उपलब्ध करानी होगी। समय पर जानकारी उपलब्ध न कराये जाने पर सम्बन्धित फर्म को पंजीकृत सूची से अलग किया जा सकता है।

<u>मूल निर्माता फर्म एवं उनके द्वारा नामित डीलरों को हेतु निर्देश:–</u>

1. **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, (एम० एण्ड टी० अनुभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–13–24/2020, दिनांक 6 दिसम्बर, 2021 तथा पत्रांक–3–4/2020–M&T(I&P) दिनांक– 05 मई 2025 के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि कृषि यंत्रीकरण एवं अन्य अनुदान की योजनाओं पर अनुदान पर दिए जाने वाले विभिन्न कृषि यंत्रों/मशीनों (ट्रैक्टर, पावर टिलर, कम्बाईन हार्वेस्टर एवं अन्य समस्त कृषि यंत्र/मशीन) जिनका सूचीबद्धकरण किया गया है ऐसे समस्त कृषि यंत्रों/मशीनों की एम.आर.पी. कृषि विभाग की वेबसाईट/agrimachinery.nic.in पोर्टल पर प्रदर्शित की जानी है। एम.आर.पी. वेबसाईट के साथ–साथ यंत्र विक्रेता की दुकानों एवं निर्माता फर्मों के प्रतिष्ठान पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जानी है। यंत्रों की एम.आर.पी. की तुलना हेतु GeM पोर्टल एवं ई–मार्केट की साईट पर अपलोड करना होगा। पंजीकृत यंत्रों पर अनुदान तभी अनुमन्य किया जाएगा जब निर्माता फर्म कृषि विभाग की वेबसाईट, GeM पोर्टल एवं ई–मार्केट की साईट पर एम.आर.पी. अपलोड करने का प्रमाण–पत्र एवं एम.आर.पी. सूची प्रस्तुत करेगें।**
2. इसी प्रकार सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु मूलविनिर्माता को सबसे पहले agrimachinery.nic.in में DBT Agriculture Machinazation पर यंत्रों/मशीनों/उपकरणों की समस्त जानकारी अपलोड करनी होगी। जिस भी मूलविनिर्माता द्वारा जानकारी अपलोड नहीं की जाती है, तब तक उस यंत्र पर अनुदान हेतु अनुमन्यता प्रदान नहीं की जाएगी।

3. सूचीबद्ध/पंजीकृत फर्म द्वारा कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों की वर्तमान दरें भारत सरकार की Agrimachinery.nic.in पर DBT Agriculture Machinazation पर अंकित की जाय, जो वित्तीय वर्ष तक परिवर्तनीय नहीं होगी।
4. फर्म द्वारा कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों पर लेबलिंग प्लेट को riveted किया जाना अनिवार्य होगा, जिस पर निर्माता का नाम एवं पता मेक/मॉडल सीरियल नम्बर निर्माण का माह एवं वर्ष, टाईप, साईज, किस देश में निर्मित किया गया है लिखा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उपलब्ध कराए जा रहे स्पेसिफिकेशन में मार्किंग/लेबलिंग हेतु दिए गए निर्देशों का पालन किया जाए।
5. सूचीबद्ध/पंजीकरण के पश्चात यदि पंजीकृत फर्म द्वारा यंत्र की आपूर्ति में यदि किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। विवाद की स्थिति में फर्म को कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड का फैसला अन्तिम रूप से मान्य होगा।
6. किसान द्वारा क्रय किए गए यंत्र की विक्रेता को धनराशि देकर यंत्र, मशीनरी, उपकरण क्रय कर लिये जाने के उपरान्त डी.बी.टी. पोर्टल पर समस्त सूचनायें अपलोड करनी होगी एवं कृषि विभाग के विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा। सत्यापन के उपरान्त अनुदान की धनराशि गाईडलाईन के अनुसार संबंधित को अनुमन्य की जाएगी।
7. निर्माता फर्म को यह अधिकार होगा कि उनके द्वारा नियुक्त किये गये अधिकृत विक्रेता को परिवर्तन कर सकेंगे, परन्तु ऐसा करते समय विनिर्माता फर्म को कृषि निदेशालय को तत्काल लिखित में सूचित करना होगा।
8. सूचीबद्ध/पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की परफॉर्मेन्स/आचरण पर निगरानी रखी जायेगी। विपरीत रिपोर्ट मिलने पर सूचीबद्ध/पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही की जायेगी। यदि पंजीकृत फर्म समय से आपूर्ति नही करती है, निम्न गुणवत्ता की आपूर्ति करती है, गलत घोषणा तथा तथ्य प्रस्तुत करता है अथवा राज्य सरकार की दृष्टि में कोई अन्य आधार जो जनहित में न हो के आधार पर अनुमोदित सूची से नियमानुसार हटा दिया जायेगा।
9. प्रत्येक यंत्र निर्माता फर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा आपूर्तित किए गए यंत्र के स्पेयर पार्टस संबंधित डीलर के पास उपलब्ध हों, जिससे मशीन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होने की दशा में कृषक उसका समाधान शीघ्र प्राप्त कर सके।
10. प्रत्येक डीलर अपने यंत्रों के रिपेयर हेतु स्थानीय मैकेनिक को छः माह के अन्तर्गत प्रशिक्षित करना सुनिश्चित करेंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर यंत्रों का रिपेयर कराना सम्भव हो सके। जनपदवार पंजीकृत किए गए स्थानीय मैकेनिक की सूची पंजीकरण के छः माह के अन्तर्गत उपलब्ध कराएगें।
11. डीलर नियुक्ति से संबंधित विवरण आवदेन पत्र के साथ संलग्न करना होगा, जो एक वर्ष के लिए मान्य होगा, यदि वर्ष के मध्य में नया डीलर नियुक्त किया जाता है, तो उस स्थिति में पंजीकरण के बाद माह अक्टूबर एवं नवम्बर में ही डीलर का आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इस हेतु निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन विभाग की ई-मेल आई.डी. पर उपलब्ध कराते हुए मूल दस्तावेज पंजीकृत डाक के माध्यम से समयान्तर्गत कृषि निदेशालय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे प्राप्त आवेदनों पर डीलर नियुक्ति का निर्णय समिति द्वारा लिया जाएगा।
12. ऐसे निर्माता जिनका पंजीकरण वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु वैद्य है, उन समस्त निर्माताओं से डीलर हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएगें, जिस पर निर्धारित समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। ऐसे डीलर जिनकी वैद्यता वर्ष 2025-26 के लिए अनुमन्य है, उन समस्त डीलर का नजरी नक्शा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार सत्यापित कराते हुए उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, तदनुसार उन डीलरों को वर्ष 2025-26 में अनुदान पर यंत्र विक्रय हेतु अनुमन्य किया जाएगा।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

List of Tractor/Power Tiller Driven Equipments

(Tested by FMTTI or Institute designated by DAC)

1- MB Plough/ Disc Plough/Cultivator/Harrow
2- Zero till seed cum fertilizer drill
3- Laser land leveller
4- Rotavator
5- Reaper
6- Seed drill
7- Multi crop thresher/ Paddy thresher/ Thresher/ Brush cutter/ Chaff cutter (Also by engine/electric motor)
8- Straw reaper
9- Tractor
10- Combine Harvester
11- Baler
12- Super Seeder
13- Happy Seeder
14- Any Other Implement

List of Self Propelled Machinery

(Tested by FMTTI or Institute designated by DAC)

1- Rice Transplanter
2- Reaper cum binder
3- Reaper
4- Power Weeder- (engine operated below 2 bhp)
5- Power Weeder- (engine operated above 2 bhp)
6- Power Weeder- (engine operated above 5 bhp)
7- Combine Harvester
8- Self Propelled Harvester Machinery

PHT

9- Mini Rice Mill/Mini Dal Mill/Millet Mill/Oil Extractor/Oil Mil
10- All type of grinder/pulveriser

List of Manual/Animal Drawn Equipments/ Implements/Tools

(Tested by FMTTI or Institute designated by DAC)

1- Thresher
2- Puddler
3- Seed Cum Fertilizer Drill
4- Weeder/Conoweeder
5- Harrow
6- Cultivator
7- MB Plough
8- Disc Plough
9- Chaff Cutter
10- Winnowing fan
11- Garden Hand Tools
12- Horticulture Hand Tools
13- Small Implements

List of Plant Protection Equipments (Manual/Tractor/Power)

(ISI/BIS or Tested by FMTTI or Institute designated by DAC)

1- Manual Sprayer-Knapsack/Foot Sprayer
2- Power Knapsack Sprayer/Power Operated Sprayer
3- Tractor mounter/Operated Sprayer

Extra Impliment ISI/BIS Tested by FMTTI or Institute designated by DAC)

1- Water Lifting Pump
2- Irrigation Pumpset
3- HDPE Pipe
4- Sprinkler Set Mini/Portable/Micro
5- Power Weeder Attachment
6- Power Tiller Attachment

यंत्र निर्माता फर्म द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत यंत्र का विवरण (प्रपत्र–1)

क0 सं0	फर्म का नाम व पूरा पता	मशीन/यंत्र का प्रकार	मेक माडल	आवेदन शुल्क का विवरण	एफ.डी.आर का विवरण
1	2	3	4	5	6

प्रदायकर्ता /पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर सहित)..........

पत्र व्यवहार का पूरा पता ....

फोन न0..........

फैक्स न0..........

E-Mail..........

(Signature of Manufacturer)

Format-2 Technical Specification

क.सं.	मूलनिर्माता फर्म का नाम	मशीन/यंत्र का नाम	मेक माडल	यंत्र का स्पेसिफिकेशन	टेस्टिंग संस्था का नाम	यंत्र के टेस्ट रिपोर्ट का विवरण	टेस्ट रिपोर्ट की वैद्यता तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(Signature of Manufacturer)

Proforma- A

Product	Model Name & No.	MRP of the Company		Test Report No. and Date	Vailidity of Report (Date)	Name of Issuing Authority	Fee of Dealers as per Format-3	Fee per Product including GST (Rate should be new GST Slab)	Total Fee (8+9)	Detail Uploaded on Portal
		Last Year	This Year							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(Signature of Manufacturer)

Format-3 Dealer Information

क. सं.	मूल निर्माता फर्म का नाम	डीलर का नाम एवं पता	डीलर का जी.एस.टी. नम्बर	डीलर का मोबाईल नम्बर	डीलर की ई–मेल आई.डी.	दुकान यदि किराए पर है तो भू–स्वामी का नाम	आधार नं0	जनपदवार जमा की गयी डीलर हेतु पंजीकरण धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(Signature of Manufacturer)

एच0डी0पी0ई0 पाइप एवं स्प्रिंकलर सेट का विवरण एवं विशिष्टियां

- पंजीकृत किये जाने वाले एच0डी0पी0ई0 पाइप का विवरण – PE63 or 80.

1. 20 mm ब्यास से 50 mm ब्यास (Rolled) IS 4984-1995 &IS 14151 Part I (PN 2.5 to 10.00 Kg/Sq.cm.)
2. 40 mm ब्यास से 140 mm ब्यास with coupler IS 14151 Part I&II (PN 2.5 to 10.00 Kg/Sq.cm.)
3. 40 mm ब्यास से 200 mm ब्यास (Flexible Pipe)

प्रपत्र

IS:4984-1995 (PE-63/PE-80)

Sl. No.	Pipe Size	PN (Presurre Rate)
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

IS:14151 Part I & II-1995

Sl. No.	Pipe Size	PN (Presurre Rate)
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

वाटर लिफ्टिंग पम्प का विवरण एवं स्पेसिफिकेशन

1. 1.5 एच0पी0 पेट्रोल स्टार्ट/कैरोसीन ऑयल चालित, मोनो ब्लाक, सेल्फ प्राइमिंग जो कम से कम 40 मी0 की कुल ऊँचाई (कुल हैड) तक, 25 मि0मी0 (1 इंच) पानी पहुँचा सके तथा जिसके सक्शन पाईप X डिलिवरी पाईप का आकार 25 मि0मी0X25 मि0मी0 हो।
2. 1.5 एच0पी0 पेट्रोल स्टार्ट/कैरोसीन ऑयल चालित, मोनो ब्लाक, सेल्फ प्राइमिंग जो कम से कम 30 मी0 की कुल ऊँचाई (कुल हैड) तक, 40 मि0मी0 (1.5 इंच) पानी पहुँचा सके तथा जिसके सक्शन पाईप X डिलिवरी पाईप का आकार 40 मि0मी0 X 40 मि0मी0 हो।
3. 2.0 एच0पी0 पेट्रोल स्टार्ट/कैरोसीन ऑयल चालित, मोनो ब्लाक, सेल्फ प्राइमिंग जो कम से कम 20 मी0 की कुल ऊँचाई (कुल हैड) तक, 50 मि0मी0 (2 इंच) पानी पहुँचा सके तथा जिसके सक्शन पाईप X डिलिवरी पाईप का आकार 50 मि0मी0 X 50 मि0मी0 हो।
4. 2.0 एच0पी0 पेट्रोल स्टार्ट/कैरोसीन ऑयल चालित, मोनो ब्लाक, सेल्फ प्राइमिंग जो कम से कम 25 मी0 की कुल ऊँचाई (कुल हैड) तक, 40 मि0मी0 (1.5 इंच) पानी पहुँचा सके तथा जिसके सक्शन पाईप X डिलिवरी पाईप का आकार 40 मि0मी0 X 40 मि0मी0 हो।
5. 3.0 एच0पी0 पेट्रोल स्टार्ट/कैरोसीन ऑयल चालित, मोनो ब्लाक, सेल्फ प्राइमिंग जो कम से कम 28 मी0 की कुल ऊँचाई (कुल हैड) तक, 75 मि0मी0 (3 इंच) पानी पहुँचा सके तथा जिसके सक्शन पाईप X डिलिवरी पाईप का आकार 75 मि0मी0 X 75 मि0मी0 हो।
6. 5.0 एच0पी0 डीजल चालित, मोनो ब्लाक, जो कम से कम 40 मी0 की कुल ऊँचाई (कुल हैड) तक, 50 मि0मी0 (2 इंच) पानी पहुँचा सके तथा जिसके सक्शन पाईप X डिलिवरी पाईप का आकार 50 मि0मी0 X 50 मि0मी0 हो।
7. 7.5 एच0पी0 डीजल चालित, 1500 आर0पी0एम0, जो कम से कम 10 मी0 की कुल ऊँचाई (कुल हैड) तक पानी पहुँचा/लिफ्ट कर सके तथा जिसका अधिकतम डिस्चार्ज कम से कम 2000 एल0पी0एम0 हो, तथा सक्शन पाईप X डिलिवरी पाईप का आकार 100 मि0मी0 X 100 मि0मी0 हो।

Technical Specification of Irrigation Pump

Sl. No	Particulars	B.H.P. Detalis/Capacity				
1.	Rated B.H.P					
2.	Category					
3.	Make & Model, No. of pump set					
4.	ISI/BIS specification (attach certificate)					
	a) pump					
	b) Engine					
5.	Bore X Stroke (mmXMM)					
6.	No. of cylinder					
7.	Rated Speed (rpm)					
8.	Gross Wt. of pumpset					
9.	Max. Discharge(LPM)					
10.	Suction Head (m)					
11.	Max. total Head (m)					
12.	Discharge at Max. Head (LPM)					
13.	Suction X delivery (mmXMM)					
14.	Fuel Consumption (gm/KW-hr)					
15.	Fuel tank capacity (litre)					
	a) Kerosene					
	b) Petrol					
	c) Diesel					
16.	Cooling system					
17.	Self priming					
18.	Ignition System					

Note: Performance curve of each capacity and other details should be enclosed with Tender Form.

कृषि मशीन/यंत्र/उपकरण के सूचीबद्ध/पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

पंजीकरण फार्म संख्या...
दिनांक...
सील...
मूल्य 2,000.00 रू० प्रति फार्म (जी0एस0टी0 सहित)

1. सूचीबद्ध/पंजीयन हेतु प्रस्तावित यंत्र/उपकरण का नामः–...
2. सूचीबद्ध/पंजीयन हेतु प्रस्तावित यंत्र/उपकरण का नाम एवं ब्राण्ड यदि कोई हो तोः–..................
   (1) ब्राण्ड नेम की बैधता तिथि...
3. विनिर्माता फर्म के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक का नामः–...
4. विनिर्माता फर्म का नाम व पूरा पता फैक्स/फोन नं० आदि सहितः–...
5. सूचीबद्ध/पंजीयन हेतु प्रस्तावित यंत्र/उपकरण के मानक स्तर का विवरणः–.................................
   आई०एस०आई०/बी०आई०एस०
   (1) अधिकृत मार्क...
   (2) अधिकृत मार्क की संख्या...
   (3) अधिकृत मार्क की बैद्यता तिथि...
   (4) टेस्टिंग रिपार्ट जिसे कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है का विवरण
   यदि यंत्र/उपकरण पर लागू होता हो...
6. सूचीबद्ध/पंजीयन हेतु प्रस्तावित यंत्र/उपकरण के विनिर्माण का विवरणः–
   (1) (राज्य उद्योग विभाग, पंजीकरण प्रमाण पत्र)...
   (2) फैक्ट्री जहां स्थित है। राज्य/स्थान...
   (3) लाइसेंस संख्या व अन्तिम बैद्यता तिथि...
7. यंत्र/उपकरण की सेल्फ लाईफ का विवरण...
8. सूचीबद्ध/पंजीयन फार्म प्राप्ति हेतु जमा की गयी धनराशि का विवरण।
   अ– विभागीय कैश रसीद संख्या– (D-2)/बैंक ड्राफ्ट का विवरण ....
   ब– जमा की गयी धनराशि रू०–...
9. एफ.डी. हेतु नामित बैंक का विवरणः–
   (1) एफ.डी रू० .... (2) बैंक का नाम ....
   (3) संख्या एवं तिथि .... (4) एफ.डी. वैद्यता तिथि.................................
10. यंत्र/उपकरण की आपूर्ति का माध्यम/स्रोतः–
   (आपूर्ति जिस डिपो से की जायेगी उस डिपो धारक का नाम व डाक पता, फोन एवं फैक्स नं0 अंकित करें)...
11. विनिर्माता फर्म का पैन नम्बर– ....

12. विनिर्माता फर्म केन्द्रीय जी०एस०टी० पंजीकरण संख्या– ....

13. विनिर्माता फर्म उत्तराखण्ड जी०एस०टी० कर पंजीयन संख्या–..
(पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)

14. विनिर्माता फर्म के कार्य क्षेत्र का विवरण:– (1) सम्पूर्ण राज्य/चयनित जनपद (चयनित जिला हो तो उल्लेख किया जाये)..

15. वितरको को राज्य के जिलों में स्थापित नेटवर्क (अधिकृत विकेताओं की सूची जो यंत्र विक्रय के उपरान्त सेवा प्रदान करेंगे उनके विर्निमाता द्वारा अधिकृत प्रमाण–पत्र, पता एवं फोन नम्बर आदि का विवरण संलग्न किया जाये..

16. क्या विर्निमाता फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है "हां " और "नहीं" में उल्लेख किया जाये साथ ही साथ शर्त संख्या नम्बर 16 का भी उल्लेख हो (100.00 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का प्रमाण–पत्र सलंग्न किया जाय) ....

17. क्या विनिर्माता फर्म के विरूद्ध किसी केन्द्र शासित प्रदेश/प्रदेश में आपूर्ति विषयक कोई विवाद/विधिक कार्यवाही चल रही है/लम्बित है, अथवा निष्पादित हुई है यदि हां तो पूर्ण विवरण दें..

<u>नोट:–</u> 1. प्रत्येक बिन्दु से संबन्धित प्रमाण पत्र/अभिलेख/कागजात की प्रतियां उपरोक्त कम में ही संलग्न की जायें।

2. प्रत्येक कृषि यंत्र/उपकरण हेतु अलग–अलग तकनीकी प्रपत्र भरा जाएगा।

निर्धारित सूचीबद्ध/पंजीयन हेतु शर्तों पर सहमति

मेरे द्वारा उपरोक्त सभी शर्ते भली–भॉति पढ़ ली गयी है तथा मैं सभी शर्तो से पूर्णतयाः सहमत हूँ।

विनिर्माता फर्म/प्रदायकर्ता/पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर..............................

पूर्ण पता..

....

फोन नम्बर..

फैक्स नम्बर..

E-mail:..

सील..

कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून विज्ञप्ति

कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों के मूल विनिर्माताओं के सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु सूचना संख्या–1

कृषि विभाग उत्तराखण्ड की विभिन्न अनुदानित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य के कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध कराए जाने वाले यंत्रों/उपकरणों के ऐसे विनिर्माताओं (Original Manufacturer) से सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि आई०एस०आई०/बी०एस०आई०/FMTTI/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से परीक्षित हो, मार्क यंत्रों का निर्माण करते हों अथवा इन यंत्रों को अपने रजिस्टर्ड ब्राण्ड नेम से विनिर्मित करते हों। प्रदायकों को सूचीबद्ध/पंजीकरण दिनांक से दो वर्ष तक के लिए किया जाएगा। सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्तें एवं आवेदन पत्र प्रत्येक यंत्रवार पृथक–पृथक जिसका **शुल्क रू० 2000/– (रूपये दो हजार मात्र)** होगा, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर देहरादून से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 10 अक्टूबर, 2025 तक (सांय 5:00 बजे तक) प्राप्त किए जा सकते हैं अथवा www.agriculture.uk.gov.in के एडवरटीजमेन्ट सेक्शन से डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र का प्रिन्ट लेकर रू० 2000/– (प्रत्येक यंत्रवार पृथक–पृथक) का बैंक ड्राफ्ट कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड के नाम पर बनाते हुए आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिनांक 10 अक्टूबर, 2025 को सांय 5:00 बजे तक सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु डाक के माध्यम से अथवा स्वंय कृषि निदेशालय में रखे बॉक्स में डाले जा सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ धरोहर राशि की एफ.डी.आर. भी उपलब्ध कराना होगा। जिन प्रदायकों के यंत्रों/उपकरणों का पंजीकरण वर्ष 2024–25 में समाप्त हो रहा है, उनको सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराना होगा तथा जिनका पंजीकरण की वैद्यता वर्ष 2025–26 तक है उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु यंत्रों की टेस्ट रिपोर्ट भारत सरकार के निर्देशानुसार समाप्त हो रही है, तो उनको संबंधित यंत्र की टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराना होगा एवं डीलर नियुक्ति से संबंधित वर्तमान में जारी दिशानिर्देश एवं शर्तों की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाईट www.agrimachinery.nic.in पर विनिर्माता सूचनाएं भी अपलोड करेंगे।

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।